वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सा०/No. : 5-1(336)/2016-PD

दिनांक/Dated: 09.10.2017 (10)

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों /मुख्यालय /कॉम्प्लेक्स /केन्द्रों /एककों के निदेशक /प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./ Instts. of CSIR Hqrs./Complex/Centres/Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the following Office Memoranda issued by the Government of India for your information, guidance and compliance.

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय / Subject
1	GoI, MoPPG&P, DoP&PW OM No. 4/34/2002-P&PW(D).Vol.II dated 23.06.2017	Restoration of full pension of absorbee pensioners in view of the order dated 01.09.2016 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6048/2010 and Civil Appeal No. 6371/2010.
2	GoI, MoPPG&P, DoP&PW OM No. 4/34/2002-P&PW(D).Vol.II dated 21.07.2017	

भवदीय/Yours faithfully

विनोद कुमार

(विनोद कुमार/ Vinod Kumar)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ US(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) Head, IT Division with the request to make this Circular available on the website & Policy Repository.
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

F.No. 4/34/2002-P&PW(D).Vol.II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
Dated the 23rd June, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Restoration of full pension of absorbee pensioners in view of the order dated 01.09.2016 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6048/2010 and Civil Appeal No. 6371/2010.**

The undersigned is directed to say that in accordance with the instructions which existed before 31.03.1995, a Government servant, on absorption in a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body, had the option to draw pro-rata gratuity and a lump sum amount in lieu of pension. The option regarding payment of lump sum amount in lieu of monthly pension on absorption in a PSU or autonomous body was available in terms of the instructions issued vide Department of Expenditure's O.M. No. 26(18)-E.V(B)/75 dated 08.04.1976, Department of Personnel & Training's O.M. No. 28016/5/85-Estt.(C) dated 31.01.1986 and Department of Pension & Pensioners' Welfare' O.M. No. 4(12)/85-P&PW dated 31.03.1987. This option was also available to Government employees on absorption in PSUs/autonomous bodies of the State Governments and Joint Sector undertakings in terms of this Department's O.M. No. 4/43/88-P&PW(D) dated 16.10.1989. The terms and conditions for absorption of Government employees consequent on conversion of a Government Department into a PSU or autonomous body issued vide this Department's O.M. No. 4/18/87-P&PW(D) dated 5.7.1989 also provided for a similar option of lump sum payment in lieu of monthly pension.

2. In accordance with Rule 37-A of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, incorporated vide Department of Expenditure's Notification No. 44(1)-E.V./71 dated 09.04.1973, on exercise of the above option, an employee was entitled to a lump sum amount not exceeding the commuted value of one-third of the pension and terminal benefit equal to twice the aforesaid lump-sum amount, subject to the condition that the Government servant surrendered his right of drawing two-thirds of his pension.

3. The option to draw a lump sum amount in lieu of pension was withdrawn vide this Department's O.M. No. 4/42/91-P&PW(D) dated 31st March, 1995. Accordingly, the erstwhile Rule 37-A was omitted from the CCS(Pension) Rules, 1972 vide Notification No. 4/42/91-P&PW(D) dated 25.06.1997.

4. In implementation of the Order dated 15.12.1995 of Hon'ble Supreme Court in WP(C) No. 11855/85, instructions were issued vide this Department's O.M. No. 4/3/86-P&PW(D) dated 30.09.1996 for restoration of one-third commuted portion of pension of Government servants who had drawn lump sum payment on absorption in

a PSU/autonomous body. Further instructions were issued, from time to time, for computation and revision of the one-third restored pension of such absorbee pensioners and for payment of the attendant benefits like dearness relief, etc. to such absorbee pensioners. Orders for revision of the one-third restored pension w.e.f. 01.01.2006 of such absorbee pensioners were issued vide this Department's O.M. No 4/38/2008- P&PW(D) dated 15/09/2008, O.M. No. 4/30/2010-P&PW(D) dated 11/07/2013. and O.M. No. 4/38/2008-P&PW(D) dated 04/08/2016. These absorbee pensioners were, however, entitled to dearness relief and age-related additional pension based on the notional full pension.

5. Hon'ble High Court of Judicature of Madras, in its judgement dated 02-08-2007 in Writ Petition no. 22207/2002 filed by one Sh. K. Ganesan, an officer in the office of Controller General of Accounts, held that surrendering of the right for drawal of 2/3[rd] of Pension after its commutation, as provided under Rule 37-A (b), was repugnant to Section 12 of the Pensions Act, 1871 and that the petitioner was lawfully entitled for the restoration of his pension after the expiry of the period of commutation of 2/3[rd] pension. Hon'ble High Court, accordingly, directed restoration of 2/3[rd] pension and payment of arrears accordingly.

6. An SLP(Civil) No. 4054/2008 (converted into Civil Appeal No. 6048/2010) was filed by the Union of India challenging the aforesaid order dated 02-08-2007 of Hon'ble High Court of Judicature of Madras. In its order dated 1.9.2016, Hon'ble Supreme Court found no justification to interfere with the order dated 02.08.2007 of Hon'ble High Court directing restoration of 2/3rd pension in respect of the respondent (Shri K. Ganesan), after the expiry of the requisite period of commutation. The Civil Appeal No. 6048/2010 was accordingly dismissed by Hon'ble Supreme Court. In the said judgement dated 1.9.2016, similar direction was passed by Hon'ble Supreme Court in the Civil Appeal No. 6371/2010 for restoration of 2/3[rd] pension in respect of the petitioners, Shri K.L. Dhall, an absorbed employee of Ministry of Civil Aviation and member pensioners of Welfare Association of Central Government Officers, CAD Absorbed in PSU.

7. Review Petitions No. 465/2017 and No. 472/2017 were filed by Union of India in the Supreme Court against the aforesaid order dated 1.9.2016. Instructions were separately issued to the office of Controller General of Accounts and the Ministry of Civil Aviation vide OM No.4/34/2002-P&PW(D).Vol.II dated 21-12-2016 and OM No. 4/34/2002-P&PW(D).Vol.II dated 21-12-2016 respectively, for implementation of the orders of Hon'ble Supreme Court in respect of the petitioner/respondent pensioners in the aforesaid Civil Appeals, subject to the final outcome of the Review Petitions. The aforesaid Review Petitions No. 465/2017 and No. 472/2017 have been dismissed by Hon'ble Supreme Court on 22.03.2017.

8. The matter has been examined in consultation with the Department of Legal Affairs and the Ministry of Finance (Department of Expenditure). It has been decided to extend the benefit of order dated 02-08-2007 of the Hon'ble Madras High Court and the Order dated 01-09-2016 of the Hon'ble Supreme Court to all similarly placed absorbee pensioners. Accordingly, all such absorbee petitioners who had taken 100%

lump-sum amount in lieu of pension on absorption in PSUs/Autonomous Bodies in accordance with the then existing Rule 37-A and in whose case 1/3 pension had been restored after 15 years, may be allowed restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years from the date of payment of 100% lump-sum amount.

9. The absorbee pensioners whose full pension is restored in terms of the above instructions would also be entitled to revision of their pension in accordance with the instructions issued from time to time in implementation of the recommendations of the Pay Commissions, including the 7th Central Pay Commission.

10. In their application to the persons belonging to the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

11. Ministry of Agriculture etc. are requested to bring the contents of these Orders to the notice of Controller of Accounts/Pay & Accounts Officers and Attached & subordinate Offices under them on a top priority basis and for taking necessary action for implementation of the above instructions. All pension disbursing offices are also advised to prominently display these orders on their notice boards for the benefit of pensioners.

12 This issues with the approval of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their ID Note No.1(11)/EV/2017 dated 26-05-2017 and dated 13-6-2017.

13. Hindi version will follow.

(Harjit Singh)
Director
Tel. No. 24624752

To

All Ministries/ Departments of Government of India (As per standard mailing list)

Copy to :

(1) Comptroller and Auditor General of India, Pocket-9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110 124.
(2) Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, GPO Complex, Block E, Aviation Colony, INA Colony, New Delhi-110003 .
(3) Chief Conroller (Pension), Central Pension Accounting Office, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066.
(4) CMDs of All Pension Disbursing Banks.
(5) NIC, DoP&PW for uploading on the Website.

F.No. 4/34/2002-P&PW(D).Vol.II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
Dated the 21st July, 2017

Corrigendum

Subject: **Restoration of full pension of absorbee pensioners in view of the order dated 01.09.2016 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 6048/2010 and Civil Appeal No. 6371/2010.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even no. dated 23-06-2017 on the above subject. As per the said OM, the benefit of the orders of Hon'ble High Court of Madras dated 02-08-2007 and the Orders of Hon'ble Supreme Court dated 01-09-2016 would be extended to all similarly placed absorbee pensioners. Accordingly, the words "absorbee petitioners" in para 8 of the above OM may be read as "absorbee pensioners".

(Harjit Singh)
Director
Tel. No. 24624752

To

All Ministries/ Departments of Government of India (As per standard mailing list)

Copy to :

(1) Comptroller and Auditor General of India, Pocket-9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110 124.
(2) Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, GPO Complex, Block E, Aviation Colony, INA Colony, New Delhi-110003 .
(3) Chief Conroller (Pension), Central Pension Accounting Office, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066.
(4) CMDs of All Pension Disbursing Banks.
(5) NIC, DoP&PW for uploading on the Website.

फा.सं. 4/34/2002-पी एंड पी डब्ल्यू (डी). खंड.II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 23 जून, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सिविल अपील सं. 6048/2010 और सिविल अपील सं 6371/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2016 के आदेश को ध्यान में रखते हुए आमेलित पेंशनभोगियों के पूर्ण पेंशन की बहाली ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि 31.03.1995 से पहले मौजूद निर्देशों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या एक स्वायत्त निकाय में आमेलन पर पेंशन के बदले में यथानुपात उपदान और एकमुश्त राशि आहरित करने का विकल्प था । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन पर मासिक पेंशन के बदले एकमुश्त राशि के भुगतान के बारे में विकल्प, व्यय विभाग के दिनांक 08.04.1976 के का.ज्ञा.सं. 26 (18) –ई. V(B)/75, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.1986 के का.ज्ञा.सं. 28016/5/85-प्रशा.(C) तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.03.1987 के का.ज्ञा.सं. 4 (12) / 85-P&PW के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उपलब्ध था । इस विभाग के दिनांक 16.10.1989 के का. ज्ञा. सं. 4/43/88- P&PW(D) के अनुसरण में यह विकल्प सरकारी कर्मचारियों के, राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों और संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलन पर भी उपलब्ध था । इस विभाग के दिनांक 05.07.1989 के का.ज्ञा. सं. 4/18/87- P&PW(D) के तहत सरकारी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के आमेलन के लिए नियम और शर्तों में मासिक पेंशन के बदले एकमुश्त भुगतान का इसी प्रकार का विकल्प प्रदान किया गया था ।

2. व्यय विभाग के दिनांक 09.04.1973 के अधिसूचना सं. 44 (1) –E.V./71 के तहत समाहित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 37-ए के अनुसार उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करके, एक सरकारी कर्मचारी यदि अपनी पेंशन के दो-तिहाई आहरण के अधिकार को छोड़ देता है तो वो एक ऐसी एकमुश्त राशि जो पेंशन की एक तिहाई संराशीकृत मूल्य से अधिक न हो तथा उल्लिखित एकमुश्त राशि के दोगुने के बराबर का आवधिक लाभ प्राप्त करने का पात्र था ।

3. पेंशन के बदले एकमुश्त राशि अहरित करने का विकल्प इस विभाग के दिनांक 31 मार्च, 1995 के का.ज्ञा. सं. 4/42/91- P&PW(D) के तहत वापस ले लिया गया था । तदनुसार, पूर्ववर्ती नियम 37-ए को दिनांक 25.06.1997 के अधिसूचना संख्या 4/42/91- P&PW(D) के माध्यम से सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 से हटा दिया गया था ।

4. रिट याचिका (सिविल) नंबर 11855/85 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.1995 के आदेश के कार्यान्वयन में, इस विभाग के दिनांक 30.09.1996 के का.ज्ञा. सं. 4/3/86- P&PW(D) के तहत उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत अंश की बहाली के लिए निर्देश जारी किए गए थे जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में आमेलन पर एकमुश्त राशि आहरित कर ली थी । इस प्रकार के आमेलित पेंशनभोगियों की एक तिहाई बहाल पेंशन की गणना और संशोधन के लिए तथा इस तरह के आमेलित पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत आदि जैसे सहायक लाभों का भुगतान करने के लिए समय-समय पर और निर्देश जारी किए गए थे । इस तरह के आमेलित पेंशनभोगियों के लिए दिनांक 01.01.2006 से एक तिहाई बहाल पेंशन के संशोधन के लिए इस विभाग के दिनांक 15/09/2008 के का.ज्ञा. सं. 4/38/2008- P&PW(D), दिनांक 11/07/2013 के का.ज्ञा.सं. 4/30/2010- P&PW(D) और दिनांक 04/08/2016 के का.ज्ञा.सं. 4/38/2008- P&PW(D) के तहत आदेश जारी किए गए थे । तथापि इस तरह के आमेलित पेंशनभोगी नोशनल पूर्ण पेंशन के आधार पर मंहगाई राहत और आयु संबंधित अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे ।

5. मद्रास की न्यायिक माननीय उच्च न्यायालय ने लेखा महा नियंत्रक कार्यालय में अधिकारी श्री के.गणेशन द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 22207/2002 में दिनांक 02-08-2007 के अपने फैसले में कहा कि नियम 37-ए (बी) के तहत प्रदान किए गए संराशीकरण के बाद दो तिहाई पेंशन के आहरण के अधिकार को छोड़ने का प्रावधान पेंशन अधिनियम, 1871 की धारा 12 के प्रतिकूल था और यह कि याचिकाकर्ता पेंशन के दो तिहाई संराशीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद कानूनी तौर पर अपनी पेंशन की बहाली के लिए पात्र था । माननीय उच्च न्यायालय ने तदनुसार, दो तिहाई पेंशन की बहाली और तदनुसार बकाए भुगतान का निर्देश दिया ।

6. मद्रास की न्यायिक उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2007 के उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय संघ द्वारा एक विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 4054/2008 (सिविल अपील सं. 6048/ 2010 में परिवर्तित) दायर की गई थी । अपने दिनांक 01.09.2016 के आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के 02.08.2007 के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं पाया जिसमें संराशीकरण की अपेक्षित अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिवादी (श्री के गणेशन) के संबंध में दो तिहाई पेंशन की बहाली का निर्देश दिया गया । सिविल अपील सं. 6048/2010 को तदनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । दिनांक 1.9.2016 के उल्लिखित फैसले में, याचिकाकर्ताओं के संबंध में 2/3 पेंशन की बहाली के लिए सिविल अपील सं. 6371/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक आमेलित कर्मचारी श्री के.एल. ढल और केंद्र सरकार अधिकारी कल्याण संघ के सदस्य पेंशनभोगियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में आमेलित सीएडी के लिए भी इसी प्रकार का निदेश जारी किया था ।

7. दिनांक 1.9.2016 के पूर्वोक्त आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय में भारतीय संघ द्वारा पुनर्विचार याचिका सं. 465/2017 और सं. 472/2017 दायर की गई । उपरोक्त सिविल अपीलों में याचिकाकर्ता/ प्रतिवादी पेंशनभोगियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए लेखा महानियंत्रक के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को क्रमश: दिनांक 21-12-2016 के का.ज्ञा. सं. 4/34/2002-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) खंड ।। और दिनांक 21-12-2016 के का.ज्ञा. सं. 4/34/2002-पी एंड पी डब्ल्यू (डी) खंड ।। के तहत अलग से निदेश जारी किए गए जोकि पुनर्विचार याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेंगे । उल्लिखित पुनर्विचार याचिका सं. 465/2017 और सं. 472/2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 22.03.2017 को खारिज कर दिया गया है ।

8. इस मामले की विधि कार्य विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 02-08-2007 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01-09-2016 के आदेश के लाभ को सभी आमेलित पेंशनभोगियों तक समान रूप से पहुंचाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, ऐसे सभी आमेलित पेंशनभोगी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में आमेलित होने पर तत्कालीन मौजूदा नियम 37-ए के अनुसार पेंशन के बदले 100% एकमुश्त राशि ले लिया था और जिनके मामले में 15 वर्षों के बाद एक तिहाई पेंशन बहाल की गई थी, उन्हें 100% एकमुश्त राशि के भुगतान की तिथि से संराशीकरण की 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली की अनुमति दी जा सकती है।

9. आमेलित पेंशनभोगी जिनकी पूर्ण पेंशन को ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार बहाल किया जाता है वे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग सहित वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अपनी पेंशन में संशोधन के हकदार होंगे ।

10. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

11. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता कि वे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी और अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं। । सभी पेंशन संवितरण कार्यालयों को भी सलाह दी जाती है कि वे पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए इन आदेशों को प्रमुखता से अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।

12 इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन से उनके दिनांक 26.05.2017 और दिनांक 13.6.2017 के आईडी नोट सं. 1(11)/ईV/2017 के तहत जारी किया जाता है ।

ह. सिंह

(हरजीत सिंह)
निदेशक
फोन 24624752

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124 ।

(2) लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, एविएशन कॉलोनी, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली -110003।

(3) मुख्य नियंत्रक (पेंशन), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट -2, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066

(4) सभी पेंशन वितरक बैंकों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (सीएमडी)

(5) वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।